



42

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

दिनांक: 22 अप्रैल 2020

पत्रांक: 8984 / एनयूएलएम /
सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
सम्बन्धित जनपद।

PPR NO. COM2048487017

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के उपघटक शहरी पथ विक्रेता प्लान (एसयूएसवी) के अन्तर्गत पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से आपके जनपद को योजनान्तर्गत खोले गये बचत खाते में, जो पीएफएमएस पोर्टल पर निम्नानुसार पंजीकृत है अन्तर्गत की जा रही है। (धनराशि ₹० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	परि० लागत	अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की 40 प्रतिशत की धनराशि (R/O)	बैंक का नाम	खाता संख्या
1	हापुड	888822.00	734167.00	बैंक आफ इण्डिया	720310110012543
(₹० सात लाख चौतीस हजार एक सौ सरसठ मात्र)					

- 1-उक्त धनराशि का प्रयोग केवल उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- 2-धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-डे-एनयूएलएम योजना के उपघटकों हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 4-कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य नियमानुसार पूर्ण कर दिये गये हैं।

(वित्त नियन्त्रक)

W सूडा

(निदेशक)

सूडा

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-

- 1- परियोजना निदेशक/परि० अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- परियोजना अधिकारी, डे-एनयूएलएम-सूडा।
- 3- वेबमास्टर, सूडा/कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(वित्त नियन्त्रक)

सूडा

TFR-2020-21-7